

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1445
उत्तर देने की तारीख: 28.07.2026

छात्रवृत्ति योजनाओं में अनियमितताएं और निगरानी तंत्र

1445. सुश्री इकरा चौधरी:

श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

श्री नीरज मौर्य:

श्री लालजी वर्मा :

श्री देवेश शाक्य:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जौनपुर और एटा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए लागू की गई मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
- (ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों, की गई जांचों, सही पाई गई शिकायतों और की गई दंडात्मक कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला या राज्य-स्तरीय निगरानी तंत्र में जनप्रतिनिधियों, विशेषकर संसद सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) इन अनियमितताओं के कारण हुए वित्तीय नुकसान, दोषी व्यक्तियों से की गई वसूली और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए किए गए उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) से (घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित

जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र-प्रायोजित योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से क्रमशः 2021-22 और 2022-23 से लागू करता है। उपर्युक्त योजनाएं पूरे भारत में सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों के पात्र छात्रों के लिए खुली और मांग आधारित हैं। केन्द्रीय हिस्सा जारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने भुगतान संबंधी आंकड़ों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर भेजने पर निर्भर करता है।

उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में ऐसी किसी भी शिकायत को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को तत्काल भेज दिया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी उचित प्रक्रिया का पालन करते हैं और ऐसी शिकायतों/अभ्यावेदनों पर उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं। निधियों की अनियमितताओं और दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत की, जिसके माध्यम से लाभ सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में जारी किए जाते हैं।

परिवर्तनकारी प्रभाव लाने के लिए योजनाओं में समय पर प्रदायगी, व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पारदर्शिता के लिए सुधार किए गए हैं। वेब-आधारित प्रणाली के माध्यम से, केंद्र/राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति की निगरानी और वितरण सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों का दुरुपयोग समाप्त हो सके।

उपर्युक्त योजनाओं की आवधिक समीक्षा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर बैठकों के साथ-साथ क्षेत्र दौरों के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय सम्मेलन/चिंतन शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें केंद्र और राज्यों दोनों के केंद्रीय और राज्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य अधिकारी भाग लेते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित करता है। निधि प्रवाह में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्रीय हिस्सा जारी करने के लिए एसएनए स्पर्श मॉडल को अपनाया है। यह एक जस्ट-इन-टाइम संवितरण ढांचे के रूप में कार्य करता है जिसके तहत छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा बिल उठाए जाने पर केंद्रीय शेयर निधि "जस्ट-इन-टाइम" में जारी की जाती है। एक बार छात्रवृत्ति भुगतान के बिलों को मंजूरी मिल जाने के बाद, केंद्रीय शेयर और

राज्य शेयर दोनों की राशि सीधे आरबीआई खाते से डीबीटी के माध्यम से छात्र लाभार्थी के खाते में अंतरित की जाती है।

त्रिपुरा राज्य सरकार में कार्यान्वित की जा रही अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में फरीदाबाद स्थित संस्थानों में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले फर्जी लाभार्थियों के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस विषय में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा त्रिपुरा राज्य सरकार से की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी गई है। उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में ऐसी किसी भी शिकायत को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया जाता है।
